कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी–1/45001/प्र.अ./स्थाना/2019 दिनांकः 28.09.2019 द्वारा श्रीमती साधना चपलोत, प्रधानाध्यापक राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, नाथद्वारा जिला राजसमन्द का स्थानान्तरण राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय ओगणा, झाडोल जिला उदयपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती चपलोत द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 15111/2019 साधना चपलोत बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 04.10.2019 द्वारा याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त अभ्यावेदन को विधि अनुसार, एक सकारण आख्यात्मक आदेश प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। याचिकार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 28.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन माननीय न्यायालय द्वारा याचिकार्थी के सम्बन्ध में स्थगित रखा गया।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के लिगामेन्टस के क्षतिग्रस्त होने एवं लीवर सम्बन्धी बीमारी से ग्रस्त होने के मद्देनजर अपना पदस्थापन रामावि रेल्वे ट्रेनिंग, उदयपुर, रामावि नई हवेली, नाथद्वारा, राजसमन्द अथवा राबामावि नाथुवास, नाथद्वारा जिला राजसमन्द में प्रधानाध्यापक के किसी रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों व माननीय न्यायालय निर्णय के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अवलोकन किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी प्रधानाध्यापक समकक्ष पद पर कार्यरत है जो कि एक राज्य सेवा का पद है। नियोक्ता द्वारा उन्हें विभागीय प्राथमिकता, प्रशासनिक आवश्यकता, राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। जहा तक याचिकार्थी द्वारा स्वयं को 150 किमी दूर स्थानान्तरित किये जाने का अभिकथन किया गया है तो इस सम्बन्ध मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276 भगवान दास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि दूरी के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता क्योंकि एक लोक सेवक को जहां उसे पदस्थापित किया गया है, वहां कार्य करना होता है। स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न अंग होता है और इससे किसी लोक सेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए याचिकार्थी श्रीमती साधना चपलोत, प्रधानाध्यापक राबामावि नाथद्वारा जिला राजसमन्द का अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। चूंकि माननीय न्यायालय द्वारा याचिकार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक ही विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 28.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी के सम्बन्ध में स्थगित रखा गया था और याचिकार्थी का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारों पर खारिज किया जा चुका है अतः श्रीमती साधना चपलोत, प्रधानाध्यापक को आदेशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 28.09.2019 की अनुपालना में अपने स्थानान्तरित स्थान राबामावि ओगणा, झाडोल जिला उदयपुर में तत्काल कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–1/साधना चपलोत/एसबीसिया/15111/2019 दिनांकः 11.08.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर/राजसमन्द।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर/राजसमन्द।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. श्रीमती साधना चपलोत, प्रधानाध्यापक राबामावि नाथद्वारा जिला राजसमन्द
10. याचिकार्थी श्रीमती साधना चपलोत, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाध्यापक को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)